

बनारस पिता रामप्रसाद उपाध्याय निवासी कासोरिया, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
 द्वारकाप्रसाद पिता रामप्रसाद उपाध्याय निवासी कासोरिया, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
 लीला पिता रामप्रसाद उपाध्याय निवासी कासोरिया, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
 सन्तोष बेवा रामप्रसाद उपाध्याय निवासी कासोरिया, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

..... प्रार्थीगण

बनाम

उदयलाल पिता रामकरण उपाध्याय निवासी कासोरिया, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
 सावरी पति काना गुर्जर निवासी कासोरिया, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
 नावरी पति कृष्णगोपाल उपाध्याय निवासी कासोरिया, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
 नारायण पिता रामसुख गुर्जर निवासी कासोरिया, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
 मोलु पिता रुग्नाथ गुर्जर निवासी कासोरिया, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
 हथोराम पिता देवकरण गुर्जर निवासी कासोरिया, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

.. विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री मुरारी जोशी, वकील प्रार्थी

-:: आदेश ::-

दिनांक 12.11.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 धारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन कि वाके ग्राम कासोरिया, पटवार मण्डल कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी नि खाता संख्या 281 के आराजी संख्या 2190/317 कुल किता 01 कुल रकबा 01-04 बीघा दर्ज रिकॉर्ड के कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता प्रार्थी ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। इसी दौरान प्रार्थी इस न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम बनेड़ा में दिनांक 12.11.2016 को पंजीबद्ध किया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए गए। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए आदेश प्रदान किया है।

-:: आदेश::-

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कासोरिया, पटवार मण्डल कासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 281 के आराजी संख्या 2190/317 कुल किता 01 कुल रकबा 01-04 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश प्रसारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बैरा को 300/- रुपये की फीस पर कनिस्तर नियुक्त किया जाता है। कनिस्तर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित प्रार्थना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना के लिए आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा प्रार्थी को अपने अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुख्यालय बनेड़ा 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामचन्द्र मीणा)

उपखण्ड अधिकारी  
 बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा